न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
पीठासीन अधिकारीः–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः–132/2015

रामेश्वरलाल पुत्र श्री गोपीराम आयु–55 वर्ष जाति सुथार निवासी चक–11 एल.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

– वादी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र श्री गोपीराम आयु–57 वर्ष जाति सुथार निवासी चक–14 एल.एम(ढाणी) तहसील अनूपगढ़ जिला–श्रीगंगानगर(राज.)
2. रायसिंह पुत्र श्रीगोपीराम आयु–52 वर्ष जाति सुथार निवासी चक–14 एल.एम.(ढाणी) तहसील अनूपगढ़ जिला–श्रीगंगानगर(राज.)
3. श्रवण कुमार पुत्र श्री गोपीराम आयु–50 वर्ष जाति सुथार निवासी चक–14 एल.एम. (ढाणी) तहसील अनूपगढ़ जिला–श्रीगंगानगर(राज.)।
4. छोटूराम पुत्र श्री गोपीराम आयु–48 वर्ष जाति सुथार निवासी चक–11 एल.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला–श्रीगंगानगर(राज.)।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांक–27.02.2023**

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि वाके चक–14 एल.एम. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–20 पत्थर सं–2/42 का किला नं–6ता25 कुल 5.0600 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड जिसमें से 3.3520 हैक्टर कमाण्ड व 1.7080 हैक्टर अनकमाण्ड कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं–1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि को वाद पत्र में आयंदा वादग्रस्त कृषि भूमि कहा जावेगा। प्रमाणित प्रति जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादग्रस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादग्रस्त कृषि भूमि संयुक्त खाता में होने के कारण हर समय फसल के बंटवारा, पानी की बारी, बट व पेड़ो तथा मामला (सिंचाई कर व राजस्व कर) भरने को लेकर अक्सर झगड़ा होने के सम्भावना रहती है। वादी ने प्रतिवादीगण सं–1 ता 4 से वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में किला अनुसार अलग अलग अकंन करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण सं–1 ता 4 हर समय टाल मटोल करते आ रहे हैं। वादी अपने हिस्सा पर काबिज चला आ रहा है तथा अनुसार काश्त करता आ रहा है तथा मौका पर इसी अनुसार वादी का कब्जा काश्त है। वादी का यह विधिक अधिकार है कि वह अपनी सम्पति संबंधी अधिकारों की रक्षा करे तथा अपनी सम्पतिं का उपयोग व उपभोग करें। उपरोक्त भूमि संयुक्त खाता में रहने से फसल के बंटवारा, पानी की बारी, बट व पेड़ों तथा मामला (सिंचाई कर व राजस्व कर) भरने को लेकर काश्त करने मे हर समय परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी अपना खाता अलग करवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.07.18 12:34:29 IST
Reason: SelfAttested

का हकदार है। प्रतिवादीगण सं–1 ता 4 तेज तर्रार किस्म के व्यक्ति है जो बिना किसी हक अधिकार के वादी के हिस्सा की कृषि भूमि को जबरन हथियाने की फिराक में हैं। प्रतिवादीगण सं–1 ता 4 ने बदमाश प्रवृति के कुछ व्यक्तियों को सहयोगी बना कर वादी को धमकाना शुरू कर दिया है। प्रतिवादीगण सं.–1ता4 ने दिनांक 6–12–2015 को अपने साथ बदमाश प्रवृति के व्यक्तियों को मौका पर लाकर जबरन कब्जा करने की असफल कोशिश की। लेकिन वादी ने प्रतिवादीगण सं–1ता4 को समझाया कि वादी के साथ तहसील परिसर अनूपगढ़ चल कर वादग्रस्त कृषि भुमि का किला अनुसार कृषि भूमि के अच्छी मंदी किस्म के अनुसार बंटवारा करवा लेते हैं लेकिन प्रतिवादीगण सं–1ता4 ने वादी के साथ चल कर बंटवारा करवाने से दिनांक 6–12–2015 को स्पष्ट इंकार कर दिया तथा वादी को ऐलानीया धमकी दी कि वह उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि से वादी को जबरन बेदखल कर वादग्रस्त कृषि भूमि को आगे अन्यत्र बेचान कर देगें। बस यही तारीख बिनाय मुखास्मत वाद पत्र है। उपरोक्त वादग्रस्त भुमि को वादी शांतिपूर्वक काश्त करता आ रहा है जिसमें वादी का हित निहित है। इसलिए वादी वादग्रस्त कृषि भूमि का अच्छी मंदी के हिसाब से बंटवारा करवाने का विधिक अधिकारी है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण में पक्षकारान की तलबी की जरिए रजि ए.डी. भिजवायी गई लेकिन प्रतिवादीगण तय अवधि में न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी सं.–1ता4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। उक्त वाद पक्षकारान के मध्य खाता विभाजन हेतु न्यायालय में काफी लंबी समयवाधि से लम्बित होने के कारण एवं पक्षकारान का हित प्रभावित नहीं होने की सूरत में उक्त प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2019 को प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार अनूपगढ से चाहा गया। तहसीलदार अनूपगढ द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किला विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 11/10/2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक–

वादी–

रामेश्वर लाल पुत्र गोपीराम प.न. 2/42 कि.नं. 7/.013, 8/.224, 18/.240, 22/0.008, 23/.253, 24/.253 = 0.991 हैक्टर/अनकमाण्ड

प्रतिवादी–

1. श्रवण कुमार पुत्र गोपीराम प.न. 2/42 कि.नं. 6/.228, 7/.240, 8/.029, 12/.253, 16/.241 = 0.991 हैक्टर/अन.कमाण्ड
2. रायसिंह पुत्र गोपीराम प.न. 2/42 किन. 14/.253, 15/.240, 17/.239, 20/.240, 21/.20 = 0.992 हैक्टर/अन.कमाण्ड
3. जगदीश राम पुत्र गोपीराम प.न. 2/42 कि.न. 13/.253, 19/.240, 22/.245, 25/.253 = 0.991 हैक्टर/अन.कमाण्ड
4. छोटूराम पुत्र गोपीराम प.न. 2/42 कि.नं. 9,10,11/.759, 21/.233 = 0.992 हैक्टर/अन. कमाण्ड

रास्ता प.न. 2/42 कि.नं. 6/.025, 15/.013, 12/.012, 17/.014, 18/.013, 19/.013, 20/.013 = 0.103 हैक्टर/अन.कमाण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.07.18 12:34:29 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को कोई एतराज नही होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी किए जाने पर कोई आपत्ति न्यायालय को प्रतीत नहीं होती है। फलतः हस्तगत

प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव स्वीकार होने पर अंतिम डिक्री जारी किए जाने में कोई विधिक बाधा नही होने के कारण वाद डिक्री किये जाने योग्य होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

::आदेश ::

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी एवं प्रतिवादीगण 1ता04 के मध्य तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार किला विभाजन किया जाकर जाने का आदेश दिया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 05 को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार निर्णय में वर्णित विभाजन प्रस्ताव मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। डिक्री पर्चा मुरतिब हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27/02/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.07.18 12:34:29 IST
Reason: SelfAttested